



UPSI 120000932022

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) बिसवाँ, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी- (सुभाष)(उ०प्र० न्यायिक सेवा)UP03785

नन्हकऊ बनाम हबीब आदि।

प्रकीर्ण दीवानी वाद संख्या-1/ 2022

दिनांक 06.02.2024

निस्तारण प्रार्थना पत्र 13क¹

पत्रवाली पेश हुई। पुकार करायी गयी। प्रार्थी/वादी नन्हकऊ की ओर से प्रार्थना पत्र कागज संख्या 13क¹ अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) व आदेश 6 नियम 17 जा० दी० प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि उपरोक्त वाद में दौरान मुकदमा प्रतिवादी संख्या 3 व 4 भल्लू व सनेही पुत्र गुरु उर्फ गजोधर ने श्रीमान् जी द्वारा पारित पूर्व आदेश का सम्मान करते हुए विवादित भूमि से अपना वास्ता व सरोकार समाप्त कर लिया है तथा वादी के कब्जे में कोई हस्ताक्षेप भी नहीं करते हैं तथा इसी आशय का लिखित उत्तर भी श्रीमान् जी के समक्ष दाखिल न्यायालय किया है, इस कारण वादी वादपत्र में निम्न संशोधन करना चाहता है। अतः प्रार्थी/वादी को वादपत्र में निम्नलिखित संशोधन करने की अनुमति प्रदान किये जाने की याचना की गयी है।

1- यह की प्रकीर्ण वाद पत्र के शीर्षक उनवान में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 भल्लू सनेही पुत्रगण गुरु उर्फ गजोधर का नाम काट दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के विरुद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी प्रतिवादीगण 3 व 4 कानाम वादपत्र से प्रतिवादी के रूप में हटाना चाहता है। वादी किस प्रतिवादी से वाद लड़ना चाहता है यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। उपरोक्त वांछित संशोधन औपचारिक प्रकृति का है तथा उपरोक्त वांछित संशोधन से वाद की प्रकृति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा वाद के सम्यक रूप से निस्तारण में सहायता प्राप्त होगी। अतः स्थिति में प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 13क¹ अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10(2) व आदेश 6 नियम 17 जा० दी० स्वीकार किया जाता है। वादी वांछित संशोधन अविलम्ब करे। पत्रावली वास्ते अग्रिम आदेश दिनांक 06.03.2024 को पेश हो।

दिनांक 06.02.2024

(सुभाष)

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ-सीतापुर।

दुर्गा शंकर (स्टेनो)/ -